तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो हुक्म की ता... में जारी हु...
17/02/2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार बावड़ी से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गयी। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:39:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

बावड़ी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्रीमती सुमित्रा पारीक (आर. ए. एस.)

विविध प्रार्थना पत्र संख्या 08/2022 सन् 2022

प्रार्थीगण:–

1. भोमाराम पुत्र श्री नारूराम,
2. पुनाराम पुत्र श्री नारूराम,
3. पांचू पुत्री श्री नारूराम,
4. बगदाराम पुत्र श्रीमती हीरकी,
5. बुधाराम पुत्र श्री नारूराम,
6. महादेव पुत्र श्रीमती हीरकी,
7. राजूराम पुत्र श्रीमती हीरकी,
8. संतोष पुत्री श्रीमती हीरकी, सभी जातियान् नायक, निवासीगण ईश्वर महादेव नगर, लवेरा कलां, तहसील, बावड़ी, ज़िला जोधपुर, राजस्थान।

" बनाम "

अप्रार्थी :–

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बावड़ी तहसील बावड़ी जिला जोधपुर राज.।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता :–

1. श्री सोहनलाल चौधरी प्रार्थीगण की ओर से।
2. सरकारी पैरोकार जरिये [illegible] स्वयं उपस्थित।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:39:14 IST
Reason: Self Attested

:: निर्णय ::

दिनांक 17/02/2022

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम ईश्वर महादेव नगर, लवेरा कलां, पटवार हल्का लवेरा कलां, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण के खाते में दर्ज भूमि आई हुई है,

Scanned with CamScanner

जो खसरा संख्या 556/13 रकबा 2.4270 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीया उक्त भूमि में प्रार्थीगणों के कब्जे काश्त की उपयोग–उपभोग की कृषि भूमि स्थित है, जिसकी ऑनलाईन नक्शे में गलत तरमीम दर्ज हो जाने से जिसकों आगें के पद पर वादग्रस्त तरमीम के नाम से संबोधित किया जायेगा। सबूत में नकल जमाबंदी मय नक्शा की ई–सत्याप्रति सम्वत् 2073 से 2076 तक प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। उक्त खसरा को ऑनलाईन तरमीम करते समय प्रार्थीगण की कृषि भूमि का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार तरमीम नही होकर भिन्न जगह तरमीम दर्ज हो गई जहॉ पर प्रार्थीगणों का कब्जा काश्त नही है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण पुश्तैनी रूप से भौतिक रूप से काबिज काश्त है। मौके पर ऑनलाईन तरमीम करते समय सेवन से राजस्व से कर्मचारियों की भूल से भौतिक रूप से कब्जे काश्त की कृषि भूमि को गलत तरमीम कर दिया। जिसे दुरूस्त फरमाया जावे कि राजस्व ग्राम ईश्वर महादेव नगर, लवेरा कलां की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 556/13 रकबा 2.4270 हैक्टयर है। जिसके चारों ओर मेड़–बन्दी बनी हुई है एवं माट–कंणे कायम किये हुए है। जिस पर प्रार्थीगणों का परम्परा से कब्जा काश्त है। राजस्व रेकर्ड के वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में उक्त कृषि भूमि की गलत तरमीम अंकित हो गई है। जिसे दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक एवं लाजमी है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा ऑनलाईन तरमीम करने के समय खसरा संख्या 556/13 की तरमीम दर्ज करते समय उक्त खसरे की तरमीम मौके पर काबिज काश्त अनुसार तरमीम दर्ज नही होकर गलत रूप से कब्जा से भिन्न जगह तरमीम दर्ज हो गई है। जिसे दुरूस्त फरमाया जावे। प्रार्थीगण की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 556/13 की राजस्व कर्मचारियों के सेवन से लिपिकिय त्रुटिवश उक्त तरमीम गलत तरमीम दर्ज हो जाने के कारण नक्शे की वास्तविक स्थिति अंकित नही हो सकी। जिस कारण वर्तमान नक्शे में इन्द्राज करते समय उक्त चुक हो गई जो रेकर्ड अशुद्धि में आता है। उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया मात्र तरमीम दुरूस्ती का है। जिसमें वर्तमान तरमीम करते समय खसरा नम्बर 556/13 के भू–भाग को छोड़कर भिन्न स्थल पर नक्शे की तरमीम हो गई है। जो लिपिकीय त्रुटि हैं। जिनकों दुरूस्त फरमाया जावे। गलत तरमीम को आधार मानकर अन्य खेतों के काश्तकार नया कब्जा करने पर आमादा है, यदि उक्त तरमीम को दुरूस्त नही किया गया तो पड़ौसी खातेंदारो के आपस में कब्जे को लेकर विवाद होगें। लोग अनावश्यक रूप से वाद–विवाद करेगें। एवं वाद बहुलता ... सामाजिक समरस्ता खडित होगी। इसलिए उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त फरमाया जावे। उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 556/13 रकबा 2.4270 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीया की तहसीलदार बावड़ी से मौके कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग व कृषि भूमि की भौतिक स्थति अनुसार रिपोर्ट मंगवाई जाकर गलत हुई तरमीम एवं मौके पर खातेदारान के कब्जे काश्त का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:39:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Scanned with CamScanner

...करने हेतु न्याय निर्णय में सुविधा हेतु मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर गलत तरमीम को दुरूस्त फरमाया जावे। दिनांक 25.11.2021 को प्रशासंन गांवों के संग अभियान शिविर स्थल लवेरा कलां में तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसका शिविर पश्चात् उक्त विषय में जानकारी की तो तहसीलदार बावड़ी द्वारा उक्त तरमीम दुरूस्ती अपने क्षेत्राधिकार में नही होना बताकर दुरूस्ती से इन्कार करने से वाद बिन्दु कायम हुआ जो लगातार हो रहा है। राजस्व ग्राम ईश्वर महादेव नगर, लवेरा कलां श्रीमान् न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में होने से उक्त क्षेत्र में घटित होने वाले राजस्व प्रकरण श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से श्रीमान् न्यायालय हाजा के समक्ष अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रार्थीगण उक्त खसरा संख्या 556/13 के कानूनी मालिक है। इसलिए उक्त खातेदारों को अपनी कृषि भूमि की हुई गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकार होने से श्रीमान् जी के समक्ष उक्त खातेदारी भूमि की तरमीम दुरूस्ती हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। उक्त प्रार्थना पत्र उचित न्यायालय शुल्क के अलावा तलबाना के साथ प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान् न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि ग्राम ईश्वर महादेव नगर, लवेरा कलां, पटवार हल्का लवेरा कलां, तहसील बावड़ी की राजस्व सीमा में से मूल खसरा 556/13 रकबा 2.4270 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीया की मूल कृषि भूमि का क्षेत्र के भौतिक स्थल से हट कर भिन्न जगह दर्शायी गई। वादग्रस्त तरमीम को निरस्त किया जाकर मौके पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग–उपभोग एवं भौतिक रूप से कब्जे के अनुसार तरमीम दुरूस्त फरमाई जावें। अन्य अनुतोष जो हितबद्ध प्रार्थीगण हो प्रार्थीगण के पक्ष में अताः फरमावे। इस आश्य का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

अप्राथी तहसीलदार को नोटिस जारी कर उक्त सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु तहसीलदार बावड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार बावड़ी द्वारा उक्त सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस कर उप... तथ्यों का हवाला देते हुए प्रार्थीगण के खेत खसरा ... 2.4270 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय की ऑनलाईन राजस्व रिकॉर्ड में ... हुई गलत तरमीम को दुरूस्त कर सही तरमीम दर्ज कराने का आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:39:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई, पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया, तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बाद मनन अवलोकन एवं अध्ययन के प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाता है, तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्ती हेतु तहसीलदार बावड़ी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम ईश्वर महादेव नगर, लवेरा कलां, पटवार हल्का लवेरा कलां, तहसील बावड़ी की राजस्व सीमा में स्थित खसरा 556/13 रकबा 2.4270 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीया की तरमीम दुरूस्ती की जाकर ऑनलाईन राजस्व नक्शे में सही तरमीम तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार अमल–दरामद करावे। तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट को इस आदेश का भाग माना जावे। एवं निर्णय का अंग सुमार समझा जावे। तहसीलदार बावड़ी को आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी कर माफिक आदेश पालना हो।

श्रीमती सुमित्रा पारीक (RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी, जिला जोधपुर

आदेश आज दिनांक 17/02/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्रीमती सुमित्रा पारीक (RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी, जिला जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.27 18:39:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner